

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक

09.03.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

24.08.2023

प्रकरण संख्या
99/2023

1. लादू पुत्र सवाईराम जाट निवासी कान्दा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

-- प्रार्थी

बनाम

1. किशन दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. लहरू दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. शंकर लाल पुत्र रूपलाल जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीचन्द पुत्र भूरा जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. गोपाल पुत्र मांगू जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. जमनालाल पुत्र बद्री जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. बद्री पुत्र नारायण जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. मथरा पुत्र नन्दा जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. बालू पुत्र धन्ना जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. भैरू पुत्र मांगू जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
11. कालू पुत्र सवाईराम जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. लक्ष्मण पुत्र नाथू सिंह राजपूत निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. कालू पुत्र सवाईराम जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-- विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

--:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

--:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कान्दा प0ह0 कान्दा भू अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 616 की अभिलिखत आराजियात आराजी संख्या 1824/1, 1850/2, 2047/1, 2055/1, 2058/2, 2059/1, 2197/1, 2214, कुल किता 08 कुल रकबा 1.5553 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कान्दा प0ह0 कान्दा भू अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 616 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1824/1, 1850/2, 2047/1, 2055/1, 2058/2, 2059/1, 2197/1, 2214, कुल किता 08 कुल रकबा 1.5553 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा